भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 514

उत्तर देने की तारीख 23.07.2026

कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता

514. श्रीमती सीमा द्विवेदी :

श्रीमती रेखा शर्मा :

श्री शंभू शरण पटेल :

श्री मयंककुमार नायक :

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे :

श्री आदित्य प्रसाद :

श्री एस. सेल्वागनबेथी :

श्री बाबू राम निषाद :

श्री लहर सिंह सिरोया :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2026-27 के लिए कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) की प्रमुख विशेषताएँ, उद्देश्य तथा मुख्य घटक क्या-क्या हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत कलाकारों, सांस्कृतिक संगठनों तथा प्रदर्शन कला समूहों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा उभरते कलाकारों को समर्थन प्रदान करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) कार्यान्वित करता है, जिसके अंतर्गत देश भर के मंच कलाओं में कार्यरत जनजातीय और ग्रामीण कलाकारों सहित पात्र सांस्कृतिक संगठनों और व्यक्तिगत कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

केएसवीवाई के अंतर्गत विभिन्न स्कीम घटकों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): विगत तीन वर्षों के दौरान देश भर में केएसवीवाई के अंतर्गत कलाकारों, सांस्कृतिक संगठनों और मंच कला समूहों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

(ग): रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षा तथा उभरते कलाकारों को सहायता प्रदान करने हेतु संस्कृति मंत्रालय अपनी स्कीमों से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार करने के लिए समाचारपत्रों में विज्ञापनों, मंत्रालय की वेबसाइट, सोशल मीडिया मंचों, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) और अकादमियों के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के संवर्धन और विकास के लिए 'रचनात्मक भारत' नामक सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप विकसित किया है जिसमें क्षमता निर्माण, बाजार पहुंच, नवोन्मेष, डिजिटल सक्षमता और सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता की परिकल्पना की गई है ताकि उभरते कलाकारों और रचनात्मक पेशेवरों के लिए सहायता सहित रचनात्मक अर्थव्यवस्था के सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय अपने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों और अकादमियों के माध्यम से अपने सदस्य राज्यों में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, उत्सवों, कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों में उभरते कलाकारों को शामिल करके मंच प्रदान करता है। इन पहलों से कलाकार अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने, व्यापक स्तर पर अनुभव प्राप्त करने और पारंपरिक कला रूपों को परिरक्षित एवं संरक्षित करने में सक्षम होते हैं। भागीदार कलाकारों को मानदेय, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, भोजन और आवास तथा स्थानीय परिवहन की सुविधा भी प्रदान की जाती है जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और वे अपनी कला को सतत आजीविका के रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और इस प्रकार वे आत्मनिर्भर बन पाते हैं।

अनुलग्नक-I

'कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता' के संबंध में दिनांक 23.07.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 514 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

1. **गुरु-शिष्य परंपरा (रेपर्टरी अनुदान) के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य नाट्य समूहों, रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों, बाल रंगमंच आदि जैसे मंचकला कार्यकलापों की सभी शैलियों तथा गुरु-शिष्य परंपरा के अनुरूप नियमित आधार पर कलाकारों को उनके संबंधित गुरु द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अनुसार, रंगमंच, संगीत और नृत्य आदि के क्षेत्र में 1 गुरु और अधिकतम 18 शिष्यों को सहायता प्रदान की जाती है। गुरु के लिए सहायता की राशि 15000/- रु. प्रति माह है और शिष्य के लिए कलाकार की आयु के आधार पर यह राशि 2000-10000/- रुपये प्रति माह है।

2. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता: इस स्कीम के निम्नलिखित उप घटक हैं :

i. **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य पूरे देश में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को बढ़ावा देना और सहायता प्रदान करना है। यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, भारत में पंजीकृत हो, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों; जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत 5 वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत सहायता की राशि 1.00 करोड़ रुपए तक है जिसे विशेष मामलों में 5.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

ii. **सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियों, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाओं, महोत्सवों, प्रदर्शनियों, विचार-गोष्ठियों, नृत्य नाटक-रंगमंच, संगीत सृजन आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अंतर्गत किसी संगठन के लिए अनुदान की राशि 5 लाख रुपए है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

iii. **हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए अनुदान की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

iv. **बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में लगे बौद्ध मठों सहित स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को प्रति वर्ष 30.00 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

v**. स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना संबंधी निर्माण (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपए तक की अधिकतम अनुदान राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपए तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

vi. **स्थानीय महोत्सव और मेले**

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं।

3. टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य मंच प्रस्तुतियों (नृत्य, नाटक और संगीत), प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, साहित्यिक कार्यकलापों, ग्रीन रुम आदि के लिए सुविधाओं और अवसंरचना युक्त

सभागार जैसे नए बड़े सांस्कृतिक स्थानों के सृजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय / राज्य सरकार की एजेंसियों / निकायों, नगर निगमों, गैर-लाभ-अर्जक मान्यताप्राप्त संगठनों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम घटक मौजूदा सांस्कृतिक सुविधाओं (रबीन्द्र भवन, रंगशालाएं) आदि के जीर्णोद्धार, नवीकरण, विस्तार कार्य, परिवर्धन, स्तरोन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए भी सहायता प्रदान करता है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी परियोजना के लिए आमतौर पर अधिकतम 15 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। केन्द्रीय वित्तीय सहायता, कुल अनुमोदित परियोजना लागत का 90 प्रतिशत होगी और कुल अनुमोदित परियोजना लागत का शेष 10 प्रतिशत प्राप्तकर्ता राज्य सरकार/एनजीओ द्वारा या पूर्वोत्तर क्षेत्र परियोजनाओं हेतु संबंधित संगठन द्वारा वहन किया जाएगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर, केन्द्रीय सहायता और राज्य की हिस्सेदारी (समतुल्य हिस्सेदारी) का अनुपात 60:40 है।

4. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति की स्कीम : इस स्कीम में निम्नलिखित तीन घटक हैं:

i. संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में 25 से 40 वर्ष के आयु वर्ग (कनिष्ठ) और 40 वर्ष से अधिक आयु के उत्कृष्ट व्यक्तियों (वरिष्ठ) को प्रत्येक बैच वर्ष में सांस्कृतिक शोध के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रुपए प्रतिमाह और 20,000/- रुपए प्रतिमाह की दर से 400 तक अध्येतावृत्तियां (200 कनिष्ठ और 200 वरिष्ठ) प्रदान की जाती हैं। यह अध्येतावृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

ii विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम

प्रत्येक बैच वर्ष में 400 तक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के उत्कृष्ट प्रतिभावान युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, मूक अभिनय, दृश्य कला, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं तथा सुगम शास्त्रीय संगीत आदि के क्षेत्र में भारत में उन्नत प्रशिक्षण के लिए 2 वर्षों के लिए प्रतिमाह 5000/- रुपए की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

iii. सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस स्कीम घटक का उद्देश्य विद्वानों/शिक्षाविदों को इन संस्थाओं के साथ आपसी हित की परियोजनाओं पर कार्य करने हेतु संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं और देश में अन्य चिन्हित सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ स्वयं को संबद्ध करने हेतु प्रोत्साहित करते हुए

संस्थाओं को सुदृढ़ और सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए 15 अध्येतावृत्तियां तक (80,000/-रुपए प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) और 25 छात्रवृत्तियां तक (50,000/-रु. प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) प्रदान की जाती हैं। यह अध्येतावृत्ति 04 बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

5. **वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता**

इस स्कीम का उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयोवृद्ध कलाकारों को 6000/- रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनकी वार्षिक आय 72,000/- रुपए प्रति वर्ष से कम है और जिन्होंने कला, साहित्य आदि के उनके विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर, यह वित्तीय सहायता उनके पति/पत्नी को अंतरित की जाती है।

अनुलग्नक-II

'कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता' के संबंध में दिनांक 23.07.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 514 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत तीन वर्षों के दौरान देश भर में केएसवीवाई के अंतर्गत घटक-वार लाभार्थियों की संख्या और संवितरित राशि का विवरण

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2023-24		2024-25		2025-26	
		लाभार्थियों की सं.	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की सं.	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की सं.	राशि (लाख रुपए में)
1.	गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम (रेपर्टरी अनुदान)	1882	10147.60	1214	7824.70	14357	18065.86
2.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	22	1216.50	15	1160.40	49	1438
3.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	2242	2455.51	2135	3275.21	2073	4246.41
4.	हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता	199	372.55	225	468.73	138	158.71
5.	बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता	330	1557.36	401	2601.00	711	2605.31
6.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता	15	108.43	20	119.47	12	74.41
7.	टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	4	1556.00	1	500.00	0	0
8.	संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों हेतु वित्तीय सहायता	0	0	0	0	2	85.50
9.	संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों हेतु अध्येतावृत्ति की स्कीम	1141	1119.00	980	1362.60	1360	2235.60
10.	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम	1507	452.40	396	118.80	1772	538.20
11.	'सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (टीएनएफसीआर)	6	35.10	0	0	12	39.10
12.	सेवा भोज योजना	2	146.00	3	143.00	0	0
13.	वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता	3811	2896.57	3651	1859.18	5145	3673.94
